

म्याँमार से अवैध अंतरवाह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने नगालैंड, मणिपुर, मज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्याँमार से भारत में अवैध अंतरवाह की जाँच करने का नरिदेश दिया है।

- इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल (Border Guarding Force) यानी असम राइफल्स को भी नरिदेश दिया गया है।
- म्याँमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंगिया (Rohingya) पहले से ही भारत में रह रहे हैं।
 - भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है।
 - एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 40,000 रोहिंगिया शरणार्थी रह रहे थे।



प्रमुख बटु

गृह मंत्रालय के नरिदेश:

- राज्य सरकारों के पास "किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा" देने की शक्ति नहीं है और भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन तथा उसके प्रोटोकॉल (वर्ष 1967) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
 - इसी तरह के नरिदेश अगस्त 2017 और फरवरी 2018 में जारी किये गए थे।

पृष्ठभूमि:

- यह नरिदेश म्याँमार में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद लोगों पर होने वाली सैन्य कार्रवाई के बाद आया है, जिसके कारण कई लोग भारत में घुस आए।
- म्याँमार की सेना ने फरवरी 2021 में तख्तापलट करके देश पर कब्ज़ा कर लिया।
- उत्तर-पूर्वी राज्य सीमा पार से आने वाले लोगों को आसानी से आश्रय प्रदान करते हैं क्योंकि कुछ राज्यों के म्याँमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ सांस्कृतिक संबंध हैं और कई लोगों के पारिवारिक संबंध भी हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ राज्यों ने म्याँमार से भागकर आए लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उन्हें आश्रय दिया।
- इन राज्यों में पहले से ही बुरी जैसी जनजातियों के बीच झड़पें होती रही हैं। अतः इस प्रकार के अंतरवाह से ऐसी घटनाओं में वृद्धि होगी।

हाल का अंतरवाह:

- म्याँमार से पुलसिकर्मियों और महिलाओं सहित एक दर्जन से अधिक वदिशी नागरिक पड़ोसी राज्य मज़ोरम में आए हैं ।

भारत-म्याँमार सीमा:

- भारत और म्याँमार के बीच 1,643 किलोमीटर (मज़ोरम 510 किलोमीटर, मणपुर 398 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर और नगालैंड 215 किलोमीटर) की सीमा है तथा दोनों तरफ के लोगों के बीच पारिवारिक संबंध हैं ।
- म्याँमार के साथ इन चार राज्यों की सीमा बना बाड़ वाली है ।

मुक्त संचरण की व्यवस्था:

- भारत और म्याँमार के बीच एक मुक्त संचरण व्यवस्था (**Free Movement Regime**) मौजूद है ।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत पहाड़ी जनजातियों के प्रत्येक सदस्य, जो भारत या म्याँमार का नागरिक है और भारत-म्याँमार सीमा (IMB) के दोनों ओर 16 किलोमी. के भीतर नविस करते हैं, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीमा पास (एक वर्ष की वैधता) से सीमा पार कर सकता है तथा प्रत्यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक यहाँ रह सकता है ।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन, 1951

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की एक बहुपक्षीय संधि है, जिसमें शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्त्ता देश की शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारियों का भी प्रावधान किया गया है ।
 - यह संधि युद्ध अपराधियों, आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देती है ।
- यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या पृथक राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न तथा अपना देश छोड़ने को मजबूर लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है ।
- इसमें कन्वेंशन द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज़ धारकों के लिये कुछ वीजा मुक्त यात्रा का प्रावधान किया गया है ।
- यह संधि वर्ष 1948 की मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है । UDHR किसी अन्य देश में पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार प्रदान करती है ।
- एक शरणार्थी कन्वेंशन में प्रदान किये गए अधिकारों के अलावा संबन्धित राज्य में अधिकारों और लाभों को प्राप्त कर सकता है
- वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करता है, इससे पूर्व वर्ष 1951 में की गई संधि सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों को ही शामिल करती थी ।
- भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं है ।

स्रोत: द हट्टू